न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:– श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या :– 148/2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
01. निर्मल कुमार पुत्र रामलाल जाति ढोली निवासी गुड़ा श्यामा तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान।		01. तहसीलदार (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 133, 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :–

01. श्री अर्जुन सिंह राजपुरोहित अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।

02. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

दिनांक : 22/07/25

–: निर्णय :–

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने विरूद्व अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 131, 133, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा गुड़ा कलां पटवार हल्का गुडा कलां, तहसील सोजत में वर्तमान खसरा नम्बर 393/1285 रकबा 0.4000 हैक्टर की कृषि भूमि आई हुई हैं। उक्त कृषि भूमि पर पूर्व श्रवणनाथ, लक्ष्मणनाथ एवं सुरमनाथ पुत्रान अमरनाथ के नाम से दर्ज थी। तत्पश्चात् लक्ष्मणनाथ पुत्र अमरनाथ ने अपना 1/3 हिस्सा लिखमाराम बालेटिया पुत्र बस्तीराम को बेचान कर दिया। जिसके बाद 2025 में लिखमाराम पुत्र बस्तीराम ने अपना 1/3 हिस्सा, श्रवण पुत्र अमरनाथ ने अपना 1/3 हिस्सा, सुरमनाथ पुत्र अमरनाथ ने अपना 1/3 हिस्सा प्रार्थी को बेचान कर दिया। तब से प्रार्थी उक्त खसरा की भूमि का बतौर मालिक खातेदार के आज भी काबिज है व काश्त करता आ रहा है। पूर्व खातेदार ने प्रार्थी को जो भूमि सूपूर्द की हैं, उसी भूमि पर प्रार्थी आज भी काबिज है। जिसमें किसी भी व्यक्ति की ओर से कोई बाधा, रूकावट नहीं हैं। प्रार्थी के द्वारा उक्त बेचान रजिस्ट्री होने व म्यूटेशन भरने के पश्चात् बेचान कर्ता से कब्जा प्राप्त किया, जो रेवेन्यू नक्शा में मार्क ''ए, बी, सी, डी'' केसरिया रंग से दर्शाया गया है तथा प्रार्थी आज भी मार्क ''ए, बी, सी, डी'' से दर्शीत भू भाग पर काबिज है। प्रार्थी की कृषि भूमि के चारों तरफ धोरा पाली लगी हुई हैं व तारबन्दी भी की हुई है। परंतु राज्य सरकार के द्वारा चलाये जा रहे सेग्रीकेशन प्रोग्राम में राजस्व नक्शा में प्रार्थी के खेत को मार्क ''ई एफ, जी. एच. आई'' से दर्शाया गया है, जो पूर्ण रूप से गलत है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर सरहद मौजा ग्राम गुडा कलॉं, पटवार हल्का गुडा कलॉं, तहसील सोजत में वर्तमान खसरा

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

नम्बर 393/1285 रकबा 0.4000 हैक्टर की भूमि के सम्बन्ध में मौके पर प्रार्थी के कब्जा की वर्तमान स्थिति की सम्बंधित आर० आई पटवारी हल्का से जाँच करवायी जाकर मौके पर काबिज स्थिति के अनुसार वर्तमान राजस्व रेकर्ड ट्रेस नक्शा में अंकित खसरा नम्बर 393/1285 रकबा 0.4000 हैक्टर की मार्क "ई०, एफ०, जी०, एच० आई०" के स्थान पर मार्क "ए, बी, सी, डी" की स्थिति को नक्शे में अंकित किया जाकर तरमीम एंव रेकर्ड दुरूस्ती करने का आदेश प्रदान किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर उक्त प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर पैरा सं0 01 में वर्णित भूमि सरहद मौजा गुड़ा कलां में होना, पैरा सं0 02, 03 प्रार्थी स्वयं न्यायालय में साक्ष्य सबूत पेश कर सिद्ध करना तथा पैरा सं0 04 कानूनी होना अंकित किया।

प्रकरण में वादरस्थ भूमि के मौका एवं रेकर्ड की वस्तुस्थिति तहसीलदार सोजत को लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मार्क ABCDE ख.नं. 393/1285 के खातेदार निर्मल कुमार पुत्र रामलाल के कब्जे काश्त की भूमि हैं। मार्क EFGHI नक्शे में तरमीम हो रखी 393/1285 की भूमि जो खाली पड़ी है, जिसमें से होकर आम रास्ता निकलना है और खेती के लायक नहीं हैं। ख.नं. 393/1285 मूल खातेदार अमरनाथ पुत्र धन्नानाथ कौम कालबेलिया को आंवटन हुई थी, जिसे निर्मल कुमार द्वारा खरीदा गया था एवं आवंटन द्वारा बतायी गयी भूमि पर निर्मल कुमार द्वारा काश्त करना बताया गया। ख0नं0 393/1285 की ऑनलाईन तरमीम वर्तमान में EFGHI के अनुसार की गयी है, किन्तु मौके पर ABCDE पर निर्मल कुमार काबिज है तथा इसी अनुरूप माफिक कब्जा अनुसार तरमीम हेतु आवेदन किया, लाल स्याही से की गई तरमीम कब्जा काश्त अनुसार नहीं की गयी है तथा उक्त भूमि के नक्शे में वर्तमान में तरमीम अशुद्ध है, जिसे तरमीम दुरूस्त की जानी न्यायसंगत हैं। इस प्रकार तहसीलदार सोजत द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर माफिक कब्जा अनुसार तरमीम शुद्धि करने की अनुशंषा की हैं।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सरहद मौजा गुड़ा कलां तह0 सोजत के खसरा नम्बर 393/1285 की तरमीम मौके पर काबिज स्थिति के अनुसार वर्तमान राजस्व रेकर्ड ट्रेस नक्शा में अंकित खसरा नम्बर 393/1285 की मार्क "ई एफ, जी, एच, आई" के स्थान पर मार्क "ए, बी, सी, डी" की स्थिति को नक्शे मे अंकित किया जाकर तरमीम एवं रेकर्ड दुरूस्ती करने का आदेश प्रदान किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाव बहस में अप्रार्थी तहसीलदार सोजत ने विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट के अनुसार ख0नं0 393/1285 की ऑनलाईन तरमीम वर्तमान में EFGHI के अनुसार की गयी है, किन्तु मौके पर ABCDE पर निर्मल कुमार काबिज है तथा इसी अनुरूप माफिक कब्जा अनुसार तरमीम हेतु आवेदन किया, लाल स्याही से की गई तरमीम कब्जा काश्त अनुसार नहीं की गयी है तथा उक्त भूमि के नक्शे में वर्तमान में तरमीम अशुद्ध है, जिसे तरमीम दुरूस्त की जानी न्यायसंगत हैं। इस प्रकार तहसीलदार सोजत द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर माफिक कब्जा अनुसार तरमीम शुद्धि करने की अनुशंषा की हैं। लिहाजा तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रा0पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

—: आदेशः—

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 133, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा गुड़ा कलां, प0ह0 गुड़ा कलां तह0 सोजत के खसरा नम्बर 393/1285 की तरमीम पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट में नजरी नक्शा में दर्शित मौके पर काबिज स्थिति "ABCDE" के अनुसार वर्तमान राजस्व रेकर्ड ट्रेस नक्शा में अंकित खसरा नम्बर 393/1285 की मार्क "EFGHI" के स्थान पर मार्क "ABCDE" की स्थिति को नक्शे मे अंकित किया जाकर तरमीम एवं रेकर्ड दुरूस्ती हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया जाता है। मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति एवं मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना तहरीर भेजकर मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 22/07/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत